भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2259

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक)

कृषि कार्यों में निम्न उत्पादकता

2259. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत की जनसंख्या की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि लोग या तो कम उत्पादकता वाले कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय बेरोजगार रह जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शहरी क्षेत्रों में भारत की श्रम बल की भागीदारी दर (एलएफपीआर) निराशाजनक रूप से 50 प्रतिशत है क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र गतिहीन हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा और अधिक रोजगार सृजित करने तथा कामगारों की कृषि जैसे कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उच्च उत्पादकता वाली नौकरियों की ओर उन्मुखता का वातावरण बनाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र करने का अधिकाधिक स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित ग्रामीण कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 48.1% से बढ़कर 2023-24 में 62.1% हो गया है। इसी अवधि के दौरान, 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर ग्रामीण बेरोजगारी दर (यूआर) 5.3% से घटकर 2.5% हो गई है।

इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में **15** वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिये सामान्य स्थिति के आधार पर कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 43.9% से बढ़कर 2023-24 में 49.4% हो गया है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित शहरी श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017-18 में 47.6% से बढ़कर 2023-24 में 52.0% हो गई है।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) आदि, जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा **https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes** पर देखा जा सकता है।

सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए **5** योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की। इसमें **1,07,000** करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ बजट 2024-25 में घोषित रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना शामिल है, जिसका उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल को औपचारिक रूप देना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं को प्रोत्साहन के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

ईएलआई योजना का एक भाग विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत नियोक्ताओं को रोजगार की औपचारिकता/सृजन के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। ईएलआई योजना का दूसरा भाग सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों में उद्योग को प्रोत्साहित करता है।

*****